भारत सरकार,वित्त मंत्रालय
Government of India, Ministry of finance
राष्ट्रीय बचत संस्थान
NATIONAL SAVNGS INSTITUTE
ाआई.सी.सी.डब्लयू बिल्डिंग ,4 ,दीन दयाल उपाध्याय मार्ग ,नई दिल्ली2-
ICCW Building, 4, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-2
E-mail: nsi@nsiindia.gov.in Tel:01123237153/23237154

फाइल सं.1/स्था./रिक्त पद-हिंदी/2025/1684-86 तारीख:- 29/10/2026

परिपत्र

विषय:- आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान के कार्यालय में सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (राजभाषा) की अनुबंध के आधार पर सलाहकार के रूप में नियुक्ति के संबंध में।

राष्ट्रीय बचत संस्थान, जो आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, द्वारा इच्छुक और योग्य सेवानिवृत्त सहायक निदेशकों (राजभाषा) से राष्ट्रीय बचत संस्थान, मुख्यालय कार्यालय, दिल्ली में अनुबंध के आधार पर सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित सलाहकारों की संख्या एक है।

2. यह नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष/सहायक निदेशक (राजभाषा) की स्थायी नियुक्ति होने तक की अवधि के लिए होगी, जिसे आवश्यकता और सलाहकार के संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

3. ऐसे सलाहकार की नियुक्ति के नियम और शर्तें, जैसे पारिश्रमिक, पात्रता, छुट्टी, काम के घंटे आदि, व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के का.ज्ञा.सं. 3-25/2020-E.IIIA द्वारा विनियमित होंगी। नियुक्ति के विस्तृत नियम और शर्तें अनुबंध-I में बताई गई हैं।

4. राष्ट्रीय बचत संस्थान को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। सलाहकार के रूप में नियुक्ति को पुनर्नियुक्ति का मामला नहीं माना जाएगा।

5. इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन संलग्न निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-II) में, निम्नलिखित पते पर जमा करें:-

अपर निदेशक और कार्यालय प्रमुख
राष्ट्रीय बचत संस्थान
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, आईसीसीडबल्यू बिल्डिंग
नई दिल्ली-110002

एक प्रति ईमेल आईडी: nsi@nsiindia.gov.in और rajivsagar@nsiindia.gov.in पर भी ई-मेल की जा सकती है।

6. आवेदन इस रिक्ति परिपत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर, निर्धारित प्रारूप में राष्ट्रीय बचत संस्थान को प्राप्त हो जाने चाहिएं। तय तारीख और समय के बाद और बिना सहायक दस्तावेजों के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

29/10/2020

अपर निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को व्यापक प्रचार हेतु।
2. NIC सेल - इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (CS-II प्रभाग), खान मार्केट, नई दिल्ली को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ताकि इसका व्यापक प्रचार किया जा सके।

परिशिष्ट-I

नियम और शर्तें

1. पात्रता:

1.1	आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को आवेदक की उम्र 64 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और वे स्वस्थ होने चाहिए ताकि अपना सरकारी प्रभावी ढंग से कर सके।
1.2	आवेदक किसी भी केंद्र सरकार के विभाग से सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद से रिटायर होना चाहिए। आवेदकों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी विभागों में राजभाषा लागू करने के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की जानकारी होनी चाहिए। आवेदक को माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान विभाग/कार्यालय की सहायता करने का अनुभव भी होना चाहिए। आवेदक कार्यालय द्वारा समय-समय पर जमा की जाने वाली सभी रिपोर्ट और रिटर्न तैयार करने, राजभाषा क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आदेश जारी करने, माननीय संसदीय समिति को प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण प्रश्नावली तैयार करने और समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य संबंधित कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

2. नियुक्ति:

2.1	परामर्शदाता की नियुक्ति पूरी तरह से संविदा आधार पर होगी और इससे विभाग में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

3. काम के घंटे और छुट्टी:

3.1	काम के सामान्य घंटे सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक होंगे। हालांकि, आपातकालीन स्थित में, उन्हें छुट्टियों में या सामान्य काम के घंटों के बाद भी कार्य हेतु बुलाया जा सकता है।
3.2	व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. 3-25/2020-E.IIIA, दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, हर पूरे महीने के कार्य के लिए 1.5 दिन का सवेतन अवकाश दिया जाएगा। अगर बताई गई छुट्टी की अवधि से ज़्यादा छुट्टी ली जाती है, तो संविदा की अवधि के दौरान 'नो वर्क नो पे' लागू होगा। इसके अलावा, एक कैलेंडर वर्ष से ज़्यादा छुट्टी जमा करने की अनुमति नहीं है।

4. पारिश्रमिक और स्रोत पर कर कटौती:

4.1	परामर्शदाता को व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. 3-25/2020-E.IIIA, दिनांक 09.12.2020 के अनुसार गणना की गई एक निर्धारित मासिक राशि दी जाएगी।
4.2	सरकारी निर्देशों के अनुसार, आय कर या कोई अन्य टैक्स, जो भी लागू होगा, स्रोत पर ही काट लिया जाएगा।

5. **डेटा और दस्तावेज़ों की गोपनीयता:**

5.1	रिपोर्ट, रिटर्न इत्यादि तैयार करने के दौरान इस्तेमाल किए गए डेटा का बौद्धिक संपदा अधिकार राष्ट्रीय बचत संस्थान के पास रहेगा।
5.2	राष्ट्रीय बचत संस्थान की स्पष्ट सहमति के बिना, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय बचत संस्थान के लिए अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए/इकट्ठे किए गए डेटा या स्टैटिस्टिक्स या जानकारी के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल, प्रकाशन, प्रकटन किसी तीसरे पक्ष को नहीं करेगा।

6. **हितों का टकराव:**

6.1	परामर्शदाता किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय बचत संस्थान/आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के हितों के प्रतिकूल किसी भी मामले में दूसरों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, न ही कोई राय देगा या सलाह देगा, और न ही वह संविदा में शामिल कार्यों संबंधी शर्तों से इतर किसी भी गतिविधि में शामिल होगा।

7. **समझौते को समाप्त करना: विभाग निम्नलिखित स्थितियों में अनुबंध समाप्त कर सकता है:-**

7.1	परामर्शदाता सौंपा गया काम करने में असमर्थ है।
7.2	दिए गए काम की गुणवत्ता विभाग में नियंत्रक अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं है।
7.3	परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई गई है।
7.4	विभाग में सक्षम प्राधिकारी बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए भी किसी भी समय संविदा खत्म कर सकते हैं।

परिशिष्ट-II

आवेदन प्रपत्र

1. नाम (बड़े अक्षरों में):	
2. जिस पद के लिए आवेदन किया है:	
3. सेवानिवृत्ति की तारीख:	
4. सेवानिवृत्ति से पहले आखिरी पद:	
5. जिस मंत्रालय/विभाग से रिटायर हुए हैं, उसका नाम:	
6. आखिरी वेतन:	
7. PPO नंबर: (कृपया PPO की एक कॉपी साथ लगाएं):	
8. मोबाइल नंबर:	
9. ईमेल ID:	
10. संपर्क के लिए पता:	
11. जन्मतिथि:	
12. शैक्षणिक योग्यता:	
13. रोजगार का विवरण, कालानुक्रमिक क्रम में (एक अलग शीट लगाएं):	
14. कार्य अनुभव (यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट लगाएं):	
15. कोई अतिरिक्त योग्यता या अनुभव:	

घोषणा:

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी बयान मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि यदि चयन/इंटरव्यू से पहले या बाद में किसी भी समय कोई भी जानकारी झूठी या गलत/अधूरी पाई जाती है या अयोग्यता पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और मैं राष्ट्रीय बचत संस्थान, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के फैसले से बाध्य रहूँगा।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

भारत सरकार,वित्त मंत्रालय
Government of India, Ministry of finance
राष्ट्रीय बचत संस्थान
NATIONAL SAVNGS INSTITUTE
आई.सी.सी.डब्लयू बिल्डिंग ,4 ,दीन दयाल उपाध्याय मार्ग ,नई दिल्ली2-
ICCW Building, 4, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-2
E-mail: nsi@nsiindia.gov.in Tel:01123237153/23237154

File No.

Dated:-

CIRCULAR

Subject:- Engagement of retired Assistant Director (Official Language) as Consultant on contract basis in the O/o National Savings Institute under the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance-reg.

National Savings Institute, an attached office under Department of Economic Affairs, Ministry of Finance invites applications from willing and eligible retired Assistant Directors (Official Language) for engagement as consultant on contract basis in the National Savings Institute, Headquarter office, Delhi. The number of consultants proposed to be engaged in one.

2. The engagement shall be initially for a period of one year/permanent appointment of Assistant Director (OL), which may be extended or curtailed as per the requirement and satisfactory performance of the consultant.

3. The terms and conditions for engagement of such consultant viz. remuneration, eligibility, leave, working hours etc. shall be regulated by the Department of Expenditure's OM No.3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020. The detailed terms and conditions of the engagement are mentioned in Annexure-I.

4. National Savings Institute reserves the right to accept, or reject in part or in full any or all the responses without assigning any reasons whatsoever. The engagement as consultant shall not be considered as a case of re-employment.

5. The interested persons must submit their applications in the prescribed format (Annexure-II) as enclosed, to:-

Additional Director & Head of Office
National Savings Institute
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance
4, Deen Dayal Upadhyaya Marg, ICCW Building
New Delhi-110002

also a copy may be emailed at email id: nsi@nsiindia.gov.in and rajivsagar@nsiindia.gov.in

6. The applications should reach National Savings Institute within 15 days from the issue of this vacancy circular, in the prescribed format. Applications received after due date, time and without supporting documents will not be considered.

Additional Director

To,

1. All Ministries/Departments of Government of India for wide publicity.
2. NIC cell-for uploading the same at the website of department.
3. Department of Personnel & Training (CS-II Division), Khan Market, New Delhi for uploading on its website for wide publicity.

ANNEXURE-I

TERMS AND CONDITIONS

1. Eligibility:

1.1	The applicant should not have attained the age of 64 years on the closing date of applications and should be in good health for discharging his/her official duties effectively.
1.2	The applicant should have retired from the post of Assistant Director (OL) from any Central Government department. Applicants should have knowledge of official language policy of the Government of India, orders issued by official language department of Ministry of Home Affairs on implementation of official language in Government departments from time to time. The applicant should also have experience of assisting department/office during inspection by Hon'ble Parliamentary Committee on official language. The applicant shall be responsible for preparation of all reports and returns to be submitted by the office from time to time, issuance of necessary orders for implementation of official language, preparation of inspection questionnaire to be submitted to Hon'ble Parliamentary Committee etc. and any other related issue assigned from time to time.

2. Engagement:

2.1	The engagement of consultant will be purely on contract basis and will not confer and right for regular appointment in the department.

3. Working hours and leave:

3.1	The normal working hours shall be from 9.30 AM to 6.00 PM. However, in exigencies, he/she may be called for services on holidays or beyond normal working hours.
3.2	As per Department of Expenditure OM No.3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020 paid leave of absence will be allowed @ 1.5days for each completed month of service. If availed for more then the said prescribed leave period 'no work no pay' shall be applicable during the period of contract. Further, no accumulation of leave beyond a calendar year is allowed.

4. Remuneration and tax deduction at source:

4.1	The consultant shall be paid a fixed monthly amount calculated as per Department of Expenditure OM No.3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020.
4.2	The income tax or any other tax, as applicable, will be deducted at source as per government instructions.

5. Confidentiality of data and documents:

5.1	The intellectual property right (IPR) of the data used during the preparation of reports, returns etc. shall remain with National Savings Institute.
5.2	Noone shall utilised or publish or disclose or part with, to a third party, any part of the data or statistics or information used/collected for the purpose of his assignments or during the court of assignments for National Savings Institute without the express consent of National Savings Institute.

6. Conflict of interest:

6.1	The consultant shall in no case represent or give opinion or advise to others in any matter which is adverse to the interest of National Savings Institute/Department of Economic Affairs, Ministry of Finance nor will he/she indulge in any activity outside the terms of the contractual assignment.

7. Termination of agreement: the department may terminate the contract if:-

7.1	The consultant is unable to address the assigned work.
7.2	Quality of the assigned work not to the satisfaction of the controlling officer/ competent authority in the department.
7.3	The consultant is found lacking in honesty and integrity.
7.4	The competent authority in the department may also terminate the contract at any time without assigning any notice and also without assigning any reason.

ANNEXURE-II

APPLICATION PROFORMA

1.	Name (IN BLOCK LETTERS):	
2.	Post applied for:	
3.	Date of retirement:	
4.	Last Post held before retirement:	
5.	Name of the Ministry/ Department from which retired:	
6.	Last Pay drawn:	
7.	PPO No.: (please enclose a copy of PPO):	
8.	Mobile Number:	
9.	Email ID:	
10.	Address for communication:	
11.	Date of Birth:	
12.	Educational Qualification:	
13.	Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet):	
14.	Work experience (enclose a separate sheet, if required):	
15.	Any additional Qualification or Experience:	

DECLARATION:

I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand and agree that in the event of any information being found false or incorrect/incomplete or ineligibility being detected at any time before or after selection/interview, my candidature is liable to be rejected and I shall be bound by the decision of the National Savings Institute, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

Place:

Date:

Signature

(Full name of the applicant)